

013
4788
Block

सेवा में

श्री मानू जन सूचना अधिकारी / जिल्हा ग्रह मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय:- जन सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने

हेतु :-

§ 18 प्रश्न:- क्या आपके मंत्रालय द्वारा ग्राम रसूलपुर रोहता तहसील व जिला मेरठ में स्थित भूमि खसरा संख्या- 45, खसरा संख्या- 554अ, ब 556ब, व खसरा संख्या- 557 व, 554ब क्या विवादित जमीन है, और

मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है, के सम्बन्ध में एक जन साधारण सूचना आपके विभाग में कार्यरत प्रभारी निरीक्षक अधिकारी नरेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. सुरजबल शर्मा के माध्यम से प्रकाशित कराई है, जिसमें नरेश चन्द्र शर्मा ने इस सूचना को प्रकाशित कर यह भ्रान्ति पैदा की है कि

जैसे ग्रह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश से यह सूचना प्रकाशित की गयी है। इसका विस्तार पूर्वक उत्तर दिया जावे।

§ 20 यदि आपके मंत्रालय द्वारा नरेश चन्द्र शर्मा को इस जन सूचना को प्रकाशित करने के लिये अधिकृत नहीं किया तो उन्होंने ग्रह मंत्रालय

भारत सरकार, आज्ञा से, सूचना प्रकाशित कर अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रान्ति जन साधारण के लिये क्यों उत्पन्न की है, के सम्बन्ध में

नरेश चन्द्र शर्मा से स्पष्टीकरण लिया जावे, तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे। जिसके सम्बन्ध में जवाब द्वारा पार्थी को सूचित किया जावे।

1-1
A-1-1
Dir (Pw)
Ds (Pw)

Handwritten signature

पृष्ठ संख्या

१३०. यह कि नरेश चन्द्र शर्मा से वह दस्तावेजी साक्ष्य मांगे जावे कि उपरोक्त
वर्णित जमीन कैसे विवादित है । और कि न्यायालय में मुकदमा
विचाराधीन है । यदि वह आपको उपलब्ध नहीं कराते तो मिथ्या
तथ्यों गृह मन्त्रालय भारत सरकार के नाम का सहारा लेकर यह जन
सूचना प्रकाशित की , के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा का स्पष्टीकरण
लिया जावे , तथा जो भी कार्यवाही नरेश चन्द्र शर्मा के विरुद्ध की
जावे । की सूचना अतिरिक्त प्राथमिक पत्र प्राप्त होने के उपरान्त
प्राथमिक को उत्तर प्रेषित करते हुये उपलब्ध कराया जावे ।

दिनांक:- 27-09-2013

प्राथमिक

Ruby Sharma

संलग्नक:-

रुबी शर्मा पुत्री श्री अशोक कुमार शर्मा

=====

1- पौ० ओ० अंकन 10/-रु-

नि० ग्राम रतूलपुर रोहटा , पर० तह० व

सं० - 17 F. 841722

जिला मेरठ । हात पता- 81 जे० तुलसी

दिनांक :- 27/9/13

कालौनी, गली नं०-2, कंकरछेडा, मेरठ ।

2- सूचना जन साक्षर्य के प्रकाशन

बोर्ड की फोटो ।

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

Speed post

Handwritten mark

RTI MATTER

No. II-18015/50/2013-NM/ANO-II
Government of India
Ministry of Home Affairs
Naxal Management Division
(ANO Wing)

Room No. 210-A, North Block
New Delhi, Dated the 13th December 2013

To

✓ Ms. Rubi Sharma,
D/o Shri Ashok Kumar Sharma
R/o Rasulpur Rohta
Tehsil & District Meerut
Uttar Pradesh

Sub: Information sought under the RTI Act, 2005 – regarding.

Please refer to your RTI application dated 27.09.2013 received by this office on 05.12.2013 from Sh. V.K.Rajan, Deputy Secretary (E) & CPIO, Ministry of Home Affairs for providing information.

2. Sh.Naresh Chandra Sharma, mentioned in your RTI application, has not been working in the Anti Naxal Operations-II (ANO-II) Wing of Naxal Management Division, Ministry of Home Affairs for which the undersigned is CPIO. Hence, information in respect of this Wing may be treated as 'Nil'.

3. Appeal u/s 19(1) of the Act, if any, is to be made within 30 days of receipt of this communication and the same lies with Sh. M.A. Ganapathy, Joint Secretary (NM), Room No.193-A/1, North Block, MHA, New Delhi-110001.

Handwritten mark

24
(Deepak Kumar Kedia)
Director (ANO-II) & CPIO
Telefax. 011 2309 2670

Copy to: Sh. V.K.Rajan, Deputy Secretary (E) & CPIO w.r.t. your letter
No.A.42012/81/2013-Ad.II dated 3rd December 2013.

Handwritten signature
18.12.13

